Present: M.P.Yadava, Addl. Sessions Judge- IX, Katihar, Court No.-10
S.T. No- 528/2025, Azamnagar P.S. Case No.- 99/2025, G.R.No.- 1711/2025

न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार।

जिलाः—कटिहार, (बिहार)

Session Trial No.- 528/2025

G.R.No.- 1711/2025, CIS No.- 1442/2025

सरकार द्वारा (भारत विश्वास पिता गिरीश विश्वास)
सा0 मौ0ः— बनतर, थानाः— आजमनगर,
जिलाः— कटिहार, बिहार। ....अभियोजन पक्ष।

बनाम

1. बलराम विश्वास पिता हरिलाल विश्वास, उ0त0 वर्ष,
निवासी सा0 मौ0ः— पस्तिया, थानाः— आजमनगर,
जिलाः— कटिहार, बिहार।..बचाव पक्ष।

थानाः— आजमनगर।
प्राथमिकी संख्याः— 99/2025 दिनांक— 26.03.2025।
प्राथमिकी अन्तर्गत धारा— 103 भा0न्या0सं0 एवं धारा 27 आयुध अधिनियम ।
संज्ञान अन्तर्गत धारा— 103 भा0न्या0सं0 एवं धारा 25(1-b)a, 26, 27 आयुध अधिनियम ।
आरोप अन्तर्गत धारा— 103 भा0न्या0सं0 एवं धारा 25(1-b)a, 26, 27 आयुध अधिनियम ।
अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ताः— श्री......................... सरदार यशवंत सिंह।
बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ताः—श्री...राजकुमार साह।
निर्णय तिथिः 22.04.2026
उपस्थितिः महेन्द्र प्रसाद यादव, अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार।

निर्णय

1. प्रस्तुत मामले में उपरोक्त अभियुक्त के विरूद्ध धारा 103 भा0न्या0सं0 एवं धारा 25(1-b)a,26,27 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप है कि उसने अपनी मां आयशी देवी की गोली मारकर हत्या कर दिया।
2. अभियोजन कहानी संक्षेप में यह है कि सूचक भारत विश्वास ने दिनांक 26.03.2025 को थाना प्रभारी आजमनगर को लिखित आवेदन देते हुए कथन किया है कि दिनांक 25.03.2025 को समय करीब 07 बजे शाम में मेरा भांजा बलराम विश्वास जो सनकी मूड का है और किसी बात को लेकर बाताबाती करते हुए हथियार अपनी मां आयशी देवी की तरफ चला दिया, जिससे आयशी देवी के पेट के नीचे गोली लग गया। आनन—फानन में ईलाज के लिए सालमारी ले जा रहे थे कि रास्ते में ही मेरी बहन आयशी देवी की मृत्यु हो गई।
3. सूचक भारत विश्वास के लिखित आवेदन के आधार पर आजमनगर पुलिस द्वारा अभियुक्त बलराम विश्वास के विरूद्ध धारा 103 भा0न्या0सं0 एवं 27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया तथा अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधानोपरान्त प्राथमिकी अभियुक्त बलराम विश्वास के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या— 285/2025 दिनांक 01.06.2025 भा0न्या0सं0 की धारा 103 एवं धारा 25(1—बी)ए/26/27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत आरोपित करते हुए न्यायालय में समर्पित किया गया तथा न्यायालय में समर्पित आरोप पत्र के आधार पर विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, कटिहार द्वारा दिनांक 01.07.2025 को अभियुक्त बलराम विश्वास के विरूद्ध भा0न्या0सं0 की धारा 103 एवं 25(1—बी)ए/26/27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत दंडनीय अपराध का संज्ञान लिया गया तथा मामले को विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटिहार के न्यायालय में दौरा सुपुर्द किया गया।
4. अभियुक्त बलराम विश्वास के विरूद्ध विद्वान जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार के द्वारा दिनांक 18.08.2025 को भा0न्या0सं0 की धारा 103 एवं 25(1—बी)ए/26/27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत आरोप का गठन कर खुले न्यायालय में हिन्दी में पढकर सुनाया गया, जिससे

Web Copy of Civil Court Katihar

अभियुक्तों द्वारा इनकार करते हुए विचारण का दावा किया गया है।

5. अभियोजन साक्ष्य के पश्चात् दिनांक 11.03.2026 को अभियुक्त का बयान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता– 2023 की धारा 351 के अन्तर्गत अभिलिखित किया गया, जिसमें उसने अभियोजन के घटनाक्रम से पूर्णतः इनकार किया तथा स्वयं को निर्दोष बताया तथा शक के आधार पर फंसाये जाने की बात कहा है।

6. अब इस न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन ने मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आयशा देवी को गोली मारकर हत्या कर दिये जाने के आरोप को युक्ति–युक्त संदेह की छाया से परे सिद्ध करने में सफल रहा है अथवा नहीं?

साक्ष्य

7. इस मामले में अभियोजन द्वारा अभियुक्त पर लगाये गये आरोप को साबित करने के क्रम में न्यायालय के समक्ष कुल 6 साक्षियों का मौखिक साक्ष्य कराया गया है, जो क्रमशः निम्नवत हैः–
अभियोजन साक्षी संख्या– 1. गिरीश विश्वास (PW-1) सूचक के पिता।
अभियोजन साक्षी संख्या– 2. भारत विश्वास (PW-2) स्वयं सूचक।
अभियोजन साक्षी संख्या– 3. दिनेश विश्वास (PW-3) मृतिका का जेठ।
अभियोजन साक्षी संख्या– 4. कुन्दन कुमार सिंह (PW-4) अनुसंधानकर्त्ता।
अभियोजन साक्षी संख्या– 5. डॉ0 एस0पी0 विनकर (PW-5) चिकित्सक।
अभियोजन साक्षी संख्या– 6. डॉ0 सुशान्त कुमार (PW-6) चिकित्सक।

8. अभियोजन द्वारा अभियुक्तों पर लगाये गये आरोप को साबित करने के क्रम में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज को प्रदर्श अंकित कराया गया हैः–
प्रदर्श P1/PW-2. प्राथमिकी आवेदन पर सूचक का हस्ताक्षर।
प्रदर्श P2/PW-4. प्राथमिकी आवेदन पर पृष्ठांकन।
प्रदर्श P3/PW-4. मृत्यु समीक्षा प्रतिवेदन।
प्रदर्श P4/PW-4. गिरफ्तारी मेमो।
प्रदर्श P5/PW-4. एफ0एस0एल0 प्रतिवेदन।
प्रदर्श P6/PW-4. जब्तीसूची।
प्रदर्श P7/PW-4. आरोप पत्र।
प्रदर्श P8/PW-5. पोस्टमार्टम पर डा0 सुशांक कुमार का हस्ताक्षर।
प्रदर्श P9/PW-5. पोस्टमार्टम पर डा0 ए0पी0 विनकर का हस्ताक्षर।

9. इस मामले में बचाव पक्ष द्वारा अपने बचाव में न्यायालय के समक्ष कोई भी मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

10. अभियोजन साक्षी संख्या– 1. गिरीश विश्वास (PW-1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि केस कौन किया है मुझे नहीं मालूम है। इस घटना के विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने मुझ से इस कांड के संबंध में पूछताछ की थी। मेरी बेटी आयशी देवी की हत्या उसके ससुराल में हुई थी। मुझे फोन के द्वारा घटना की सूचना मिली तो मैं अपने बेटी के ससुराल में गए तो देखे की लड़की मर चुकी थी। मेरी बेटी लाल रंग की साड़ी और ब्लाउज पहनी हुई थी। हम देखे कि मेरे लड़की के पेट के नीचे कटा हुआ था, जिससे उसकी मृत्यु हुई थी। मेरी बेटी कैसी मरी मुझे नहीं मालूम था। मेरी बेटी की शादी श्रीपति विश्वास के लड़का हरिलाल विश्वास के साथ 2015 में शादी हुई थी। अभियुक्त बलराम विश्वास जो मेरा नाती है, न्यायिक हिरासत में हैं, जिसे पहचानता हूँ। बचाव पक्ष द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में कथन किया गया है कि मेरी बेटी कैसे मरी आज तक मुझे नहीं पता चला। मेरे नाती को शक के आधार पर लोग फंसा दिया। मेरे सामने कोई घटना नहीं घटी थी।

11. अभियोजन साक्षी संख्या– 2. भारत विश्वास (PW-2) स्वयं सूचक ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि यह केस मैंने नहीं किया है। यह घटना 25.03.2025 की है। समय के बारे में मुझे

Web Copy Civil Court Katihar

Web copy of Order Katihar

जानकारी नहीं है। मेरे बहन का नाम आयशी देवी उसकी शादी नाया टोला पस्तिया हरिलाल विश्वास के साथ हुई थी। शादी कब हुई उसका दिनांक मुझे जानकारी नहीं है। हमारे भांजा का नाम बलराम कुमार विश्वास है। फोन से हमें सूचना मिली कि गोली कांड हुआ है, जिसमें मेरी बहन को गोली लग गया है। सूचना पाकर मैं बहन के यहां गया तो पता चला कि गावं के लोग बोल रहे थे कि कोई गोली मारकर भाग गया, जिसका पता नहीं चला कि कौन मारा। मेरी बहन को गोली घर में लगी थी, गोली कमर के नीचे लगी थी। एक गोली लगी थी। मेरे पहुंचने तक मेरे बहन अस्पताल चली गई थी। जब मैं पहुंचा तो मेरी बहन से मुलाकात अस्पताल में हुआ। सालमारी स्वास्थ्य केंद्र में बहन की मृत्यु हो गई थी। पोस्टमार्टम हेतु कटिहार सदर अस्पताल लाया गया था। पुलिस घटना के बारे में मेरे से पूछताछ नहीं कि थी। लिखित आवेदन में मेरा हस्ताक्षर है, जिसे मैं पहचानता हूं, जिसे प्रदर्श P-01/PW-02 में अंकित किया गया है। आज अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित है, जिसे मैं पहचानता हूं। बलराम विश्वास मेरा भांजा लगेगा। सूचक ने अपने प्रति परीक्षण में कथन किया है कि मेरा घर बलतर से नया टोला पस्तियां बलराम विश्वास का घर 5 किलोमिटर है। किसने फोन से सूचना दिया, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। मैं जब पस्तियां पहुंचा तो बहन को मृत अवस्था में पाया, तथाकथित घटना मेरे सामने घटित नहीं हुई थी। यह घटना किसके द्वारा कैसे और क्यों की गई इसके विषय में मुझे जानकारी नहीं है। मैं जब पस्तिया गया तो घटना के संबंध में किसी से बात नहीं हुई थी। गांव वालों ने बोला गोली मारकर कोई भाग गया है, लेकिन उसका नाम कोई नहीं बताया। थाना में जिस आवेदन के अधार पर मुकदमा हुआ था, किसने लिखा था, मैं नहीं बता सकता हूं। उसमें क्या लिखा था, मुझे पढ़कर बताया भी नहीं गया था कि उसमें क्या लिखा है। मैंने भागिना के उपर मुकदमा गुस्सा और गलतफहमी में आकर कर दिया है। मेरी बहन को एक गोली लगी और कितना गोली लगी मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मैं घटना के समय नहीं था। इसी आशय का एक आवेदन न्यायालय में दाखिल किया गया था कि यह मुकदमा गलतफहमी और गुस्से में दायर किया गया था। अभियुक्त मेरा भांजा है, इसलिए मैं पहचानता हूं। ऐसी बात नहीं है कि अभियुक्त मेरा भांजा है, इसलिए मैं झूठी गवाही दे रहा हूं।

12. अभियोजन साक्षी संख्या– 3. दिनेश विश्वास (PW-3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि यह केस भरत विश्वास ने किया है। यह घटना 25.03.2025 की है, समय लगभग शाम 7 बज रहा था। आयशी देवी को उनके घर में गोली लगी थी। गोली कौन मारा था, मुझे पता नहीं। पुलिस में मेरा बयान नहीं हुआ था। आज न्यायालय में बलराम विश्वास उपस्थित है, जिसे पहचानता हूं। आज न्यायालय में गवाही देने वकील साहब के बुलाने पर आया हूं। पुनः कहते हैं नोटिस मिलने पर गवाही देने आया हूं। बचाव पक्ष द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में कथन किया गया है कि आयशी देवी मेरे छोटे भाई की पत्नी है। जिस समय घटना घटी उस समय मैं घर पर नहीं था। जब घर शाम 9:00 बजे आया तो उसके बाद जानकारी मिली कि मेरे छोटे भाई की पत्नी को गोली लगी है। आज तक मुझे पता नहीं चला कि गोली कौन मारा। बलराम विश्वास मेरा भतीजा है, इसलिए मैं पहचानता हूं। आयशी देवी का ईलाज वगैरह नहीं हुआ था।

13. अभियोजन साक्षी संख्या– 4. कुन्दन कुमार सिंह (PW-4) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक–26.03.2025 को मैं आजमनगर थाना में थानाध्यक्ष के पद पर पदस्थापित था। मुझे एक लिखित आवेदन भरत विश्वास की ओर से प्राप्त हुआ, जिसके आधार पर मैंने आजमनगर थाना कांड संख्या– 99/2025 दिनांक– 26.03.2025 अन्तर्गत धारा 103 बी0एन0एस0 और 27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। इस लिखित आवेदन के पृष्ठांकन मेरे लिखावट एवं हस्ताक्षर में है, पहचान रहा हूं, जिसे प्रदर्श P-2/P.W-4 अंकित किया जाता हैं। दिनांक– 25.03.2025 को समय 21:30 बजे सूचना मिली थी कि ग्राम पसतिया में मां को बेटा ने गोली मार दिया है, जिससे मृत्यु हुई है। प्राप्त सूचना के सत्यापन विधिसम्मत कार्यवाही में थाना में पदस्थापित पु0अ0नि0 राम कुमार सिंह, परि0पु0अ0नि0 आर्यन कुमार, पु0अ0नि0 राजवीर कुमार साहू एवं बल के साथ घटनास्थल ग्राम पसतिया वार्ड संख्या– 07 स्थित मृतिका आयशी देवी, पति हरिलाल विश्वास के घर पहुंचा जहां पर स्थानीय लोग और मृतिका के परिजन उपस्थित थे, अग्रेतर

कार्रवाई करते हुए मृतिका आयशी देवी के शव को मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट, डेड बॉडी चालान तैयार कर वास्ते पोस्टमार्टम कराने चौकीदार गोविन्द राय एवं चौकीदार गुनाधर राय को सुरक्षित वाहन से शव के साथ सदर अस्पताल कटिहार भेजा गया। घटनास्थल को सुरक्षित किया गया। एफ0एस0एल0 टीम को घटनास्थल पर पहुंचने के लिए मोबाईल से कॉल कर अनुरोध किया गया। घटनास्थल पर मृतिका आयशी देवी के भाई भारत विश्वास से लिखित आवेदन प्राप्त हुआ, जिसके आधार पर आजम नगर थाना कांड संख्या– 99/2025 कायम कर अनुसंधान भार स्वयं ग्रहण कर अनुसंधान प्रारंभ किया। मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट पु0अ0नि0 आर्यन कुमार के द्वारा तैयार किया गया था, जिसकी छायाप्रति अभिलेख पर है तथा उस पर पुलिस पदाधिकारी पु0अ0नि0 आर्यन कुमार का हस्ताक्षर है, जिसे पहचान रहा हूं, जिसे प्रदर्श P-3/P.W-4 अंकित किया जाता हैं। अनुसंधान के क्रम में घटनास्थल के लिए प्रस्थान किया, घटनास्थल पहुंचा, इस कांड का घटनास्थल आजमनगर थाना अन्तर्गत थाना से उत्तर पूरब दिशा में करीब 6 किमी0 की दूरी पर ग्राम पसतिया वार्ड– 7 में मृतिका आयशी देवी का पूरब रूख का ईंट छतदार एवं टीन ऐस्बेस्टस चारदीवारी से बना घर आंगन हैं, घर में जाने पर पूरब रूख का एक ईंट टीन ऐस्बेस्टस से चारदीवारी में मुख्य गेट से प्रवेश करने पर घर का आंगन, आगंन से पश्चिम पक्का छतदार पूरब रूख का दो कमरों का आगे बरामदा का मकान है। इसी मकान के दक्षिण पश्चिम किनारे पूरब रूख का कमरा है, जिसके मुख्य दरवाजे पर चदरा का दरवाजा है, दरवाजा से अंदर प्रवेश करने पर कमरा में कच्चा जमीन पर जहां तहां खून का धब्बा पाया गया, इसी स्थान पर अभियुक्त बलराम विश्वास द्वारा आयशी देवी को गोली पेट के नीचे गोली लगने और गोली लगने के बाद जख्मी अवस्था में आयशी देवी को ईलाज के लिए सालमारी जख्मी के परिजनों द्वारा वाहन से ले जाने की बात बताई जाती हैं। घटनास्थल की चौहदी उत्तर–मृतिका के घर का अन्य दूसरा कमरा, दक्षिण–धर्मेन्द्र विश्वास का मकान, पूरब–मृतिका के घर का बरामदा, पश्चिम–चन्द्र शेखर विश्वास का मक्का फसल लगा खेत। अनुसंधान के क्रम में वादी भारत विश्वास का पुनः बयान लिया, साक्षी दिनेश विश्वास और गिरीश विश्वास का बयान लिया। अनुसंधान के क्रम में अभियुक्त बलराम विश्वास को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया, गिरफ्तारी मेमो मेरे लिखावट एवं हस्ताक्षर में है, पहचान रहा हूं, गिरफ्तारी मेमो को प्रदर्श P-4/P.W-4 अंकित किया जाता है। अनुसंधान के क्रम में एफ0एस0एल0 के टीम खुशी सोनी द्वारा घटनास्थल पहुंचकर वहां से खून एवं मिट्टी जब्त किया गया, उनके द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिस पर मेरा भी हस्ताक्षर है पहचान रहा हूं, जिसे प्रदर्श P-5/P.W-4 अंकित किया जाता हैं। अनुसंधान के क्रम में अभियुक्त बलराम विश्वास से घटना के संबंध में पूछताछ कर अभियुक्त का स्वीकोरोक्ति बयान लिया गया, उनके द्वारा घटना में संलिप्तता को स्वीकार करते हुए घटना में प्रयुक्त अग्नेयास्त्र को घटना कारित करने के बाद घर के पीछे मक्का के खेत में फेंकने या रखने तथा बरामद करवाने के बयान और उनके निशानदेही पर चन्द्रशेखर विश्वास के मक्का फसल खेत से कांड में प्रयुक्त पिस्टल को अभियुक्त के निशानदेही पर बरामद किया गया। बरामद पिस्टल जांच हेतु एफ0एस0एल0 भागलपुर भेजा गया है, अभी तक प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ हैं। जब्ती सूची मेरे लिखावट एवं हस्ताक्षर में है, पहचान रहा हूं, जिसे प्रदर्श P-6/P.W-4 अंकित किया जाता हैं। आग्नेयाश्त्र का जांच माननीय न्यायालय से आदेश प्राप्त कर कांड में जब्त आग्नेयास्त्र का आयुध निरीक्षक पूर्णिया क्षेत्र पूर्णिया दिनेश कुमार तिर्खी से जांच कराया गया जिसका जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ जो कांड दैनिकी के साथ संलग्न हैं। अनुसंधान के क्रम में मृतिका का पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त कर कांड दैनिकी में संलग्न किया। अनुसंधान के क्रम में मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट कांड दैनिकी में संलग्न किया। मान्नीय न्यायालय से आदेश प्राप्त कर संरक्षित खून लगा मिट्टी, आग्नेयास्त्र एवं पोस्टमार्टम में प्राप्त बुलेट का एफ.एस.एल. जांच हेतु भागलपुर भेजा गया। अनुसंधान के क्रम में जिलाधिकारी महोदय कटिहार से अभियोजन स्वीकृति आदेश प्राप्त किया गया। अनुसंधान पूर्ण पाते हुए प्राथमिकी अभियुक्त बलराम विश्वास के विरूद्ध अन्तर्गत 103 बी.एन.एस. एवं 25(1)(बी)/26, 27 आर्म्स एक्ट के तहत आरोप–पत्र संख्या– 285/25 दिनांक– 01.06.2025 माननीय न्यायालय में समर्पित किया, जिस पर मेरा

Web Copy of Katihar

हस्ताक्षर है, पहचानता हूं, जिसे प्रदर्श P-7/P.W-7 अंकित किया जाता है। साक्षी प्रथम बार न्यायालय में उपस्थित 10 अभियुक्तों में अभियुक्त को पहचानने में असफल रहा है, परन्तु द्वितीय प्रयास में अभियुक्त बलराम विश्वास की पहचान किया। बचाव पक्ष द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में कथन किया गया है कि मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट पर गवाह एवं पदाधिकारियों का हस्ताक्षर छाया प्रति में है, मूल हस्ताक्षर नहीं है। घटनास्थल का उल्लेख कांड दैनिकी के पारा –6 में है, जिसके दक्षिण चौहद्दी में धर्मेन्द्र विश्वास का उल्लेख है, अनुसंधान में उसका बयान नहीं लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त बलराम विश्वास के कब्जे से गिरफतारी के समय कोई आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई। जिस मकई खेत से पिस्टल बरामद करने की बात कही जाती है, उस मकई खेत में लोगों के चलने फिरने से हुए पैर के निशान का उल्लेख कांड दैनिकी में नहीं है। बरामद पिस्टल में कोई मैगजिन या गोली नहीं पाया गया है। अभियुक्त बलराम विश्वास स्वीकारोक्ति बयान के समय थाना पर पुलिस अभिरक्षा में था। फौरेंसिक एक्सपर्ट एवं बैलेस्टिक एक्सपर्ट में फर्क क्या होता है, मुझे नहीं मालूम। बरामद पिस्टल को पहले सार्जेन्ट मेजर के पास जांच में भेजा गया, भेजन के पूर्व सील किया गया था। सील पिस्टल पर जप्त करने वाले पदाधिकारी एवं गवाहों का हस्ताक्षर लिया गया था। उस पिस्टल को जांच हेतु भेजते समय मैंने कोई डिस्टिंक्ट मार्क नहीं दिया था। सार्जेन्ट मेजर साहेब ने सील करके सामान भेजा था, उसी को मैंने फौरेंसिक जांच हेतु भेज दिया। फौरेंसिक साईंस लेबोरेटरी से खून लगा मिट्टी अथवा कपड़े का कोई जांच प्रतिवेदन नहीं प्राप्त हुआ। मृतिका आयशी देवी को पोस्टमार्टम में भेजने के पूर्व उसे देखा था। उस समय वह मृत थी। मृत्यु के पहले उसे नहीं देखा था। आयसी देवी के ईलाज के लिए मैंने कोई रिक्वीजीशन जारी नहीं किया था। जब्त वस्तु प्रदर्श अभी न्यायालय में नहीं है। किसी भी गवाहों ने घटना को आंखो देखने की बात नहीं कहा है। मेरे अनुसंधान के क्रम में बलराम विश्वास का कोई आपराधिक इतिहास नहीं पाया गया। ऐसी बात नहीं है कि मेरा अनुसंधान त्रुटिपूर्ण है तथा मैंने गलत आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित किया है।

14.अभियोजन साक्षी संख्या– 5. डॉ0 एस0 पी0 विनकर (PW-5) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 26.03.2025 को मैं सदर अस्पताल कटिहार में एस0एम0ओ0 के पद पर पदस्थापित था। On that day, Postmortem has been conducted by Dr. Sushant Kumar, I was present there as an observer, PM was conducted on the dead body of Aishi Devi, aged about 30 yrs., female, W/o Harilal Vishwas at Naya Tota, Pastiya, P.S-Azamnagar, Katihar, dead body was brought by Chaukidar 2/5 Govind Ray, Chaukidar 2/4 Gunadhar Ray,

External Findings:

Wound of entry measuring 2cm X 1cm X Deep into abdominal cavity with inverted margin and blackening around the margin have been noticed.

Internal Findings:

Cranial Cavity- On opening cranial cavity meninges and brain tissues were intact and pale.

On opening of Thoracic cavity both lungs were intact and pale. Heart was intact and all chambers were empty.

Abdominal Cavity- On opening of abdominal cavity was full of blood and clot, stomach was intact and contained small amount of fluid, perforation of small instetine was noticed, all other abdominal vicserae were intact and pale.

On further dissection a bullet has been dislodged from musclur plain right gluteal region.

Opinion- Cause of death is Hamorrhagic and Neurogienic shock due to firearm injury. Time elapsed since death & postmortem examination done is within 24 hours.

The bullet was preserved in sealed container with details of dead body and handed over to custodian. The dead body handed over to accompanied police person.

This PM report typed and prepared by Dr Sushant Kumar, it bears his signature, I identified his signature, signature of Dr. Sushant Kumar is marked as Exhibit P-8/P.W-5. This PM report also bears my signature as Observer, I identified my signature, Signature of Dr S.P. Vinkar is also marked as Exhibit P-9/P.W-5. बचाव पक्ष द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में कथन

Web copy of Civil Court Katihar

किया गया है कि Dr Sushant Kumar is in service till date. The process of PM is also assisted by some senetary staff. This PM report has not bear the signature of any senetary staff. Bullet dislodged from dead body, preserved in a sealed container is not in the court at this time. I am not put any signature on sealed container of dislodged bullet nor any distinct mark on container.

15.अभियोजन साक्षी संख्या– 6. डॉ0 सुशान्त कुमार (PW-6) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 26.03.2025 को मैं सदर अस्पताल कटिहार में चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित था। On that day, I did PM examination over the dead body of Aishi Devi, aged about 30 yrs, female, W/o Harilal Vishwas at Naya Tota, Pastiya, P.S-Azamnagar, Katihar, and found follwing findings: External Findings: Wound of entry measuring 2cm X 1cm X Deep into abdominal cavity with inverted margin and blackening around the margin have been noticed. Internal Findings: Cranial Cavity- On opening cranial cavity meninges and brain tissues were intact and pale. On opening of Thoracic cavity both lungs were intact and pale. Heart was intact and all chambers were empty. Abdominal Cavity- On opening of abdominal cavity was full of blood and clot, stomach was intact and contained small amount of fluid, perforation of small instetine was noticed, all other abdominal vicserae were intact and pale. On further dissection a bullet has been dislodged from muscular plain right gluteal region. Opinion- Cause of death is Hamorrhagic and Neurogienic shock due to firearm injury. Time elapsed since death & postmortem examination done is within 24 hours. The bullet was preserved in sealed container with details of dead body and handed over to custodian. The dead body handed over to accompanied police person. This PM report typed and prepared by me, it bears my signature, I identified my signature,It has already been marked as Exhibit P-8/P.W-5. बचाव पक्ष द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में कथन किया गया है कि I have conducted the PM on the dead body on the basis of original copy of inquest report. Original copy of inquest report is not present at this time before me. This PM report is not bear case number. Bullet dislodged from dead body, preserved in a sealed container is not available in the court at this time. I am not put any signature on sealed container of dislodged bullet nor any distinct mark on container. As per external injury may not be caused by heavy crackers. I have not mentioned the distance of gunshot. I have not mentioned about the hole upon the wearing cloth of deceased.

अभियोजन की ओर से बहस

16.अभियोजन की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने अपने बहस में कहा है कि सूचक भारत विश्वास के लिखित आवेदन के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आजमनगर थाना कांड संख्या– 99/2025 दिनांक 26.03.2025 भा0न्या0सं0 की धारा 103 एवं धारा 27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज किया गया है, जिसमें अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधानोपरान्त आरोपित अभियुक्त के विरूद्ध भा0न्या0सं0 की धारा 103 एवं धारा 27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत आरोप पत्र समर्पित किया गया है। मामले के दौरासुपुर्द किये जाने के बाद दिनांक 18.08.2025 को अभियुक्त बलराम विश्वास के विरूद्ध भा0न्या0सं0 की धारा 103 एवं धारा 25(1-b)a, 26, 27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत आरोप का गठन किया गया हैं। अभियोजन की ओर से घटना के समर्थन में कुल 6 साक्षियों का परीक्षण कराया गया है, जिसमें अभियोजन साक्षी संख्या– 1. गिरीश पासवान मृतक के पिता ने न्यायालय में अभियुक्त की पहचान किया है। अभियोजन साक्षी संख्या– 2. स्वयं सूचक ने बयान दिया है कि फोन से हमें सूचना मिली कि गोली कांड हुआ है, जिसमें मेरी बहन को गोली लग गया है। सूचना पाकर मैं बहन के यहां गया तो पता चला कि गांव के लोग बोल रहे थे कि कोई गोली मारकर भाग गया। अभियोजन साक्षी संख्या– 3. दिनेश विश्वास ने न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त की पहचान किया है तथा कहा है कि बलराम बिश्वास मेरा भतीजा है। अभियोजन साक्षी संख्या– 4. कुन्दन कुमार अनुसंधानकर्ता के बयान के आधार पर प्राथमिकी आवेदन, आरोप–पत्र एवं मृत्यु समीक्षा प्रतिवेदन को प्रदर्श अंकित किया गया है तथा मक्के के

Web Copy of Civil Court Katihar

खेत से अभियुक्त के निशानदेही के आधार पर आयुध बरामद किया गया है। चिकित्सक द्वारा पोस्टमार्टम पर अपने हस्ताक्षर की पहचान किया गया है, जिसे प्रदर्श अंकित किया गया है, तदनुसार अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षियों ने अभियोजन कहानी को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया है। अतः न्यायहित में मामले के आरोपित अभियुक्त को आरोपित धाराओं में वर्णित अधिकतम दंड से दंडित किया जाए।

बचाव पक्ष की ओर से बहस

17. बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने अपने बहस में अभियुक्त का बचाव करते हुए कथन किया है कि इस मामले में अभियुक्त भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 103 एवं धारा 25(1-b)a, 26/27 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत आरोपित है एवं विचारण का सामना कर रहा है। अभियोजन कहानी को साबित करने के क्रम में न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराये गये किसी भी साक्षी ने घटना को नहीं देखा है। अभियोजन साक्षी संख्या– 1. गिरीश विश्वास सूचक/मृतिका के पिता ने बयान दिया है कि मेरी बेटी कैसे मरी आज तक मुझे पता नहीं चला। अभियोजन साक्षी संख्या– 2. भरत विश्वास स्वयं सूचक ने बयान दिया है कि फोन से हमें सूचना मिली कि गोली कांड हुआ है, जिसमें मेरी बहन को गोली लग गया है। सूचना पाकर बहन के यहां गया तो पता चला कि गांव के लोग बोल रहे थे कि कोई मारकर भाग गया, जिसका पता नहीं चला कि कौन मारा है। घटना के संबंध में स्वयं सूचक अनुश्रुत साक्षी है। अभियोजन साक्षी संख्या– 3. दिनेश विश्वास ने बयान दिया है कि गोली कौन मारा था मुझे पता नहीं है। आज तक मुझे पता नहीं चला कि गोली कौन मारा था। मृतका आयसी देवी अभियुक्त बलराम विश्वास की मॉ थी। मृतिका एवं बलराम विश्वास संयुक्त परिवार में रहते थे। उनलोगों के बीच कभी किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं था। अभियुक्त के विरूद्ध कोई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अभियोजन द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियुक्त को शंका के आधार पर इस मामले में अभियोजित किया गया है। अतः न्याय हित में अभियुक्त को आरोपित अपराध से दोषमुक्त किया जाये।

साक्ष्य विश्लेषण

18. अब मैं अभिलेख पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों की गहन विवेचना एवं मीमांषा इस वाद में अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप के आलोक में करूंगा। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित है कि इस मामले का अभियुक्त बलराम विश्वास भा0न्या0सं0 की धारा 103 एवं धारा 25(1-b)a, 26, 27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत आरोपित है और विचारण का सामना कर रहे हैं। जहां तक भा0न्या0सं0 की धारा 103 एवं धारा 25(1-b)a, 26, 27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत दंडनीय अपराध के आरोप की बात है तो धारा 100 भारतीय न्याय संहिता 2023 में हत्या को परिभाषित किया गया है तथा धारा 103 भारतीय न्याय संहिता 2023 में हत्या के दंड का उपबंध किया गया है। धारा 100 भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसारः–

(क)– अपवादित दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानववध हत्या है, यदि वह कार्य, जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गयी हो, मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो, अथवा

(ख)– यदि कोई कार्य ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो, जिससे अपराधी जानता हो कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करना संभव है, जिसको वह अपहानि कारित की गयी है, अथवा

(ग)– यदि वह कार्य किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो और वह शारीरिक क्षति जिसे कारित करने का आशय हो, प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है, अथवा

(घ)– यदि कार्य करने वाले व्यक्ति यह जानता हो कि वह कार्य इतना आसन्न संकट है कि पूरी अधिसंभाव्यता है कि वह मृत्यु कारित कर ही देगा या ऐसी शारीरिक क्षति कारित कर

Web Copy of Court Katihar

ही देगा, जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है और वह मृत्यु कारित करने या पूर्वोक्त रूप से क्षति कारित करने की जोखिम उठाने के लिए किसी प्रतिहेतु के बिना ऐसा कार्य करे।

अपवाद— 1. आपराधिक मानववध हत्या नहीं हैः— आपराधिक मानववध हत्या नहीं है, यदि अपराधी उस समय जबकि वह गंभीर और अचानक प्रकोपन से आत्मसंयम शंक्ति से वंचित हो, उस व्यक्ति की, जिसने कि वह प्रकोपन दिया था, मृत्यु कारित करे या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु भूल या दुर्घटनावश कारित करे।

यह अपवाद निम्नलिखित परन्तुकों के अध्यधीन हैः—

(क)— यह कि प्रकोपन किसी व्यक्ति का वध करने या अपहानि करने के लिए अपराधी द्वारा प्रतिहेतु के रूप में ईप्सित न हो या स्वेच्छया प्रकोपित न हो।

(ख)— यह कि वह प्रकोपन किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा न दिया गया हो, जो कि विधि के पालन में, या लोक सेवक द्वारा ऐसे लोक सेवक की शक्तियों के विधिपूर्ण प्रयोग में की गयी हो।

(ग)— यह प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा न दिया गया हो, जो प्राईवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विधिपूर्ण प्रयोग में की गयी हो।

स्पष्टीकरणः— प्रकोपन इतना गंभीर और अचानक था या नहीं कि अपराध को हत्या की कोटि में जाने से बचा दे, यह तथ्य का प्रश्न है।

अपवाद— 2. आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है, यदि अपराधी शरीर या संपत्ति की प्राईवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को सद्भावपूर्वक प्रयोग में लाते हुए विधि द्वारा उसे दी गयी शक्ति का अतिक्रमण कर दे, और पूर्व चिंतन बिना और ऐसी प्रतिरक्षा के प्रयोजन से जितनी अपहानि कारित करना आवश्यक हो, उससे अधिक अपहानि करने के किसी आशय के बिना उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दे, जिसके विरूद्ध वह प्रतिरक्षा का ऐसा अधिकार प्रयोग में ला रहा हो।

अपवाद— 3. आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है, यदि अपराधी ऐसा लोक सेवक होते हुए, या ऐसे लोक सेवक को मदद देते हुए, जो लोक न्याय के अग्रसरता में कार्य कर रहा है, उसे विधि द्वारा दी गयी शक्ति से आगे बढ़ जाये, और कोई ऐसा कार्य करके, जिससे वह विधिपूर्ण और ऐसे लोक सेवक के नाते उसके कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए आवश्यक होने का सद्भावपूर्वक विश्वास करता है, और उस व्यक्ति के प्रति, जिसकी मृत्यु कारित की गयी है, वैमनस्य के बिना मृत्यु कारित करे।

अपवाद— 4. आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है, यदि वह मानव वध अचानक झगड़ा जनित आवेश की तीव्रता में हुई अचानक लड़ाई में पूर्व चिंतन बिना और अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाये बिना या क्रूरतापूर्ण या अप्रायिक रीति से कार्य किये बिना किया गया हो।

स्पष्टीकरण— ऐसी दशाओं में यह तत्वहीन है कि कौन पक्ष पहले प्रकोपन देता है या पहला हमला करता है।

अपवाद— 5. आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है, यदि वह व्यक्ति, जिसकी मृत्यु कारित की जाये, 18 वर्ष से अधिक आयु का होते हुए, अपनी सम्मति से मृत्यु होना सहन करे, या मृत्यु की जोखिम उठाये।

इस प्रकार मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार सर्वप्रथम देखना होगा कि क्या अभियुक्त द्वारा किया गया कृत्य धारा 100 भा0द0वि0 की परिभाषा की परिधि के अन्तर्गत आता है अथवा उसमें वर्णित किसी अपवाद की श्रेणी में आता है।

19.अभियुक्त पर लगाये गये आरोप को साबित करने के क्रम में अभियोजन की ओर से परीक्षित अभियोजन साक्षी संख्या— 1. गिरीश विश्वास मृतका/सूचक के पिता ने मुख्य परीक्षण में कहा है कि इस घटना के विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है। घटना के बारे में मुझे फोन से सूचना मिली थी तो मैं अपने बेटी के ससुराल गये तो देखा कि वह मर चुकी थी। मेरी बेटी कैसे मरी मुझे नहीं मालूम है। साक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षण में कहा गया है कि मेरी बेटी कैसे मरी आज तक मुझे पता नहीं चला तथा मेरे नाती को शंका के आधार पर लोगों द्वारा फंसा दिया गया है। इस

Web copy of Civil Court, Katihar

Web copy of Katihar

प्रकार स्पष्ट है कि यह साक्षी घटनास्थल पर उपस्थित नहीं रहा है तथा फोन द्वारा इसे घटना की सूचना प्राप्त हुई है, जिससे स्पष्ट है कि घटना के संबंध में अभियोजन साक्षी संख्या– 1. गिरीश विश्वास अनुश्रुत साक्षी है। अभियोजन साक्षी संख्या– 2. भरत विश्वास स्वयं सूचक ने मुख्य परीक्षण में बयान दिया है कि हमें सूचना मिली कि गोली कांड हुआ है, जिसमें मेरी बहन को गोली लग गयी है। सूचना पाकर मैं अपने बहन के यहां गया तो गांव के लोग बोल रहे थे कि कोई गोली मारकर भाग गया, परन्तु कौन गोली मारा था आज तक पता नहीं चला है। सूचक द्वारा प्रतिपरीक्षण में बयान दिया है कि जब मैं वहां पहुंचा तो बहन को मृत अवस्था में पाया। तथाकथित घटना मेरे सामने घटित नहीं हुई थी। घटना किसके द्वारा एवं क्यों की गयी इस विषय में कोई जानकारी नहीं है। अभियुक्त के भांजा होने के आधार पर न्यायालय में पहचान किया गया है। इस साक्षी के साक्ष्य विश्लेषण से विदित है कि स्वयं सूचक घटना के समय घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था तथा घटना के संबंध में फोन द्वारा इसे सूचित किया गया था, परन्तु किसके द्वारा फोन से सूचित किया गया था, इस संबंध में सूचक द्वारा कोई बयान नहीं दिया गया है। घटना के संबंध में स्वयं सूचक भी अनुश्रुत साक्षी है। अभियोजन साक्षी संख्या– 3. दिनेश विश्वास ने मुख्य परीक्षण में बयान दिया है कि आयसी देवी को उनके घर पर गोली लगी थी। गोली कौन मारा था, मुझे पता नहीं है। इनके द्वारा प्रतिपरीक्षण में बयान दिया गया है कि आयसी देवी मेरे छोटे भाई की पत्नी है। जिस समय घटना घटी मैं घर पर नहीं था। शाम को घर आया तो जानकारी मिली कि मेरे छोटे भाई की पत्नी को गोली लगी है। आजतक मुझे पता नहीं चला कि गोली कौन मारा था। बलराम विश्वास मेरा भतीजा है। इस प्रकार इस साक्षी के साक्ष्य से भी विदित है कि घटना के संबंध में यह अनुश्रुत साक्षी है तथा इस तरह इस बात की जानकारी नहीं है कि घटना किसके द्वारा कारित की गयी है। अभियोजन की ओर से परीक्षित अभियोजन साक्षी संख्या– 4. कुन्दन कुमार के बयान के आधार पर प्राथमिकी आवेदन पर पृष्ठांकन को प्रदर्श– P2/PW-4 अंकित किया गया है तथा मृत्यु समीक्षा प्रतिवेदन को प्रदर्श– P3/PW-4 अंकित किया गया है। अनुसंधानकर्ता के बयान के आधार पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला के प्रतिवेदन को प्रदर्श– P5/PW-4 अंकित किया गया है तथा आरोप पत्र को प्रदर्श– P7/PW-4 अंकित किया गया है। चिकित्सक एस0पी0 दिनकर के बयान के आधार पर मृतिका आयसी देवी के मृत्यु समीक्षा प्रतिवेदन को प्रदर्श प्रदर्श– P8/PW- 5 तथा प्रदर्श– P9/ PW-5 अंकित किया गया है। इस प्रकार अनुसंधानकर्ता के बयान के आधार पर औपचारिक प्राथ. मिकी मृत्यु समीक्षा प्रतिवेदन एवं आरोप पत्र को साबित किया गया है तथा अभियोजन द्वारा चिकित्सक के बयान के आधार पर शव परीक्षा प्रतिवेदन को साबित किया गया है। अभियोजन की ओर से अंकित कराये गये प्रदर्श P2/PW-4, P3/PW-4, P5/PW-4, P6/PW-4, P7/PW-4, P8/PW- 5, P9/PW-5 से स्पष्ट है कि आयसी देवी की मृत्यु हुई है तथा मृत्यु का कारण फायर आर्म्स से जख्मी होने से अत्यधिक रक्तश्राव एवं मानसिक आघात है। अब जहां तक आयुध से जख्म कारित किये जाने की बात है, न्यायालय के समक्ष किसी भी साक्षी के द्वारा यह बयान नही दिया गया है कि किसके द्वारा मृतिका को जख्म कारित किया गया है। अभियोजन की ओर से परीक्षित अनुसंधानकर्ता एवं चिकित्सक के अतिरिक्त अन्य सभी साक्षी अनुश्रुत साक्षी है। अनुश्रुत साक्षियों के साक्ष्य पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। मामले में अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधान के क्रम में आयुध बरामद किया गया है जो मक्के के खेत से बरामद हुआ है। आवेदक के कब्जे से कोई आयुध बरामद नहीं किया गया है। न हीं किसी साक्षी द्वारा अभियुक्त के कब्जे में कोई आयुध कभी देखे जाने की बात कहा गया है। मामले में बरामद आयुध एवं मृतका के शरीर से बरामद गोली के संबंध में कोई भी प्रतिवेदन अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है, जिससे यह पता चलता हो कि अभियुक्त द्वारा मामले में बरामद आयुध से उक्त गोली का फायर किया गया है अर्थात् मृतिका के शरीर से बरामद गोली का प्रयोग बरामद आयुध से किया जा सकता है अथवा नहीं, के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

20. इस प्रकार उपरोक्त संपूर्ण विवेचन से स्पष्ट है कि आयशी देवी की मृत्यु गोली लगने से हुई है, परन्तु न्यायालय के समक्ष परीक्षित किसी भी साक्षी द्वारा घटना को देखने की बात नहीं कहा

Web Copy of Civil Court, Katihar

गया है। अब जहां तक अभियुक्त के विरूद्ध परिस्थितिजन्य साक्ष्य की बात है तो मृतिका एवं अभियुक्त माँ–बेटा है। किसी भी साक्षी द्वारा ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया है, जिससे इस बात की संभावना हो कि मृतिका एवं अभियुक्त के बीच कभी किसी प्रकार का मनमुटाव या कोई विवाद था। अभियुक्त भी संयुक्त परिवार के साथ ही रहता था। वह अपनी मॉ से अलग नहीं रहता था न ही उससे किसी प्रकार के विवाद की कोई बात कही गयी है, अर्थात् अभियोजन द्वारा ऐसी परिस्थितियों का भी कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है, जिससे इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि अभियुक्त द्वारा अपनी मॉ की गोली चलाकर हत्या की गयी होगी। किसी भी अपराध के लिए कोई न कोई कारण अवश्य होता है, जिसके आधार पर घटना कारित किये जाने का अनुमान लगाया जा सकता है, परन्तु प्रस्तुत मामले में अभियोजन द्वारा ऐसा कोई कारण भी नहीं बताया गया है, जिससे इस बात का अनुमान लगाया जा सके अथवा इस बात की संभावना हो कि अभियुक्त द्वारा ही अपराध किया गया है, अथवा घटना को अंजाम दिया गया है। उपरोक्त संपूर्ण विवेचन से स्पष्ट है कि अभियोजन मामले को अभियुक्त के विरूद्ध युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रही है।

इस प्रकार उपरोक्त संपूर्ण विवेचन से विदित है कि अभियोजन मामले में अभियुक्त बलराम विश्वास के विरूद्ध भा0न्या0सं0 की धारा 103 एवं धारा 25(1-b)a, 26, 27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत दंडनीय अपराध के आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है, तदनुसार अभियुक्त आरोपित अपराध से दोषमुक्त किये जाने का हकदार है। फलतः आदेश पारित किया जाता है:–

<u>आदेश</u>

प्रस्तुत मामले के अभियुक्त बलराम विश्वास को धारा 103 भा0न्या0सं0 एवं धारा 25(1-b)a, 26, 27 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दंडनीय अपराध के आरोप से संदेह का लाभ देते हुए साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है। कार्यालय तत्काल अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा से मुक्ति का अधिपत्र निर्गत करें।

(महेन्द्र प्रसाद यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश,नवम्, कटिहार।
दिनांक 22.04.2026

यह निर्णयादेश मेरे द्वारा लेखापित, शुद्धित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके आज खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

(महेन्द्र प्रसाद यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश,नवम्, कटिहार।
दिनांक 22.04.2026

In the court of Addl.Sessions Judge - IX, Katihar.

District:- Katihar (Bihar)

Present:- Mahendra Prasad Yadava

Judgment Date:- 22-04-2026

Session Trial No.- 528/2025

G.R.No.- 1711/2025, CIS No.-528/2025

Azamnagar P.S. Case No.- 99/2025
F.I.R. U/Sec.- 103 of the BNS & 27 of Arms Act.
(Cognizance U/Sec.-103 of the BNS & 25(1-b)a, 26, 27 of Arms Act.
Charge U/Sec.- 103(i) of the BNS & 25(1-b)a, 26, 27 of Arms Act.

Informant	Bharat Vishwas S/o Girish Vishwas Residing at village- Bantar, P.S- Azamnagar, District:- Katihar, Bihar.
Presented by:-	Ld. Addl. P.P. Sardar Yashwant Singh
Accused:-	1. Balram Vishwas s/o Harilal Vishwas, Aged about 55 yrs. Resididng at village – Pastiya, Ward-07, P.S- Azamnagar, District:- Katihar, Bihar.
Presented by:-	Ld. Adv. Shri Rajkumar Sah

FORM-B

Date of Offence	25.03.2025
Date of Complaint	26.03.2025
Date of Chargesheet	01.06.2025
Date of Framing of Charges	18.08.2025
Date of Commencement of evidence	02.09.2025
Date on which Judgement is reserved	10.04.2026
Date of Judgment	22.04.2026
Date of Sentencing Order, if any	None

Accused Details:

Accused Rank	Name of Accused	Date of Arrest	Date of Release on Bail	Offences Charged with	Acquitted or convicted	Sentence Imposed	Period Detention Undergone During trial for Purpose of section428, Cr.PC
1	Balram Vishwas	27-03-2025	In Judicial Custody till today.	U/Sec. 103(i) of the BNS & 25(1-b)a, 26, 27 of Arms Act.	Acquitted	None	None

(Mahendra Prasad Yadava)
Addl. Sessions Judge- IX, Katihar
Date:- 22-04-2026

Web Copy of Civil Court, Katihar

Present: M.P.Yadava, Addl. Sessions Judge- IX, Katihar, Court No.-10
S.T. No- 528/2025, Azamnagar P.S. Case No.- 99/2025, G.R.No.- 1711/2025

APPENDIX

In the court of Addl.Sessions Judge - IX, Katihar.

LIST OF PROSECUTION/DEFENCE/COURT WITNESS

A. Prosecution

RANK	NAME	NATURE OF EVIDENCE
PW- 1.	Girish Vishwas	Father of Informant
PW- 2.	Bharat Vishwas	Informant
PW- 3.	Dinesh Vishwas	Witness
PW- 4.	Kundan Kumar Singh	I.O
PW- 5.	Dr. S.P. Vinkar	Doctor
PW- 6.	Dr. Shushant Kumar	Doctor

B. Defence Witness, if any:

RANK	NAME	NATURE OF EVIDENCE
DW1	None	None

C. Court Witness, if any:

RANK	NAME	NATURE OF EVIDENCE
DW1	None	None

LIST OF PROSECUTION/DEFENCE/COURTEXHIBITS

A. Prosecution:

Sr. No.	Exhibit Number	Description
1.	Exhibit P-1/PW-2	Signature of Informant on FIR Application.
2.	Exhibit P-2/PW-4	Indorsement on written application.
3.	Exhibit P-3/PW-4	Inquest report.
4.	Exhibit P-4/PW-4	Arrest memo
5.	Exhibit P-5/PW-4	F.S.L. report.
6.	Exhibit P-6/PW-4	Seizure list.
7.	Exhibit P-7/PW-4	Chargesheet
8.	Exhibit P-8/PW-5	Signature of Dr. Shushant Kumar on PM report
9.	Exhibit P-9/PW-5	Signature of Dr. S. P. Vinkar on PM report

B. Defense:

Sr. No.	Exhibit Number	Description
1.	None	None

C. Court Exhibits:

Sr. No.	Exhibit Number	Description
1.	None	None

D. Material Objects:

Sr. No.	Material Object Number	Description
1.	None	None

(Mahendra Prasad Yadava)
Addl. Sessions Judge- IX, Katihar
Date:- 22-04-2026

Web Copy of Civil Court, Katihar

Present: M.P.Yadava, Addl. Sessions Judge- IX, Katihar, Court No.-10
S.T. No- 528/2025, Azamnagar P.S. Case No.- 99/2025, G.R.No.- 1711/2025

Date of Judgment	22.04.2026
Date of Reserving Judgment	10.04.2026
Date of Uploading Judgment	23.04.2026
Uploaded By	

Web Copy of Civil Court, Katihar